लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

अधिशासी अभियन्ता, स्थापना खण्ड, रुड़की के माह 10/2015 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा सर्व श्री मनोज कुमार नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं नन्दन सिंह भण्डारी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26/10/2016 से 08/11/2016 तक श्री दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण दिनांक 26/10/2016 से 08/11/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत संपादित लेखापरीक्षा का निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या स्थापना खण्ड, रुड़की द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावना:-

इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री पी0 के0 श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री अजय मिश्रा, लेखापरीक्षक द्वारा श्री आर0 एस0 नेगी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 15/10/2015 से 29/10/2015 में सम्पन्न हुई थी जिसमे खण्ड के माह 03/2011 से 09/2015 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2015 से 09/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं ने खण्ड का कार्यभार संभाले रखा।

   1- श्री एन के यादव - विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

3. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे:-
   1- श्री डी एस तोमक्याल - विगत लेखापरीक्षा से 31/07/2016 तक
   2- श्री राजीव गोयल - 01/08/2016 से वर्तमान तक

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा के पश्चात दिनांक 16-05-2016 को खण्ड का निरीक्षण किया गया।

5- खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमश: माह 09/2014 एवं माह 09/2014 तक की गई।

6- फार्म 51: माह 09/2016 तक कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-
   भाग प्रथम ` शून्य
   भाग द्वितीय ` शून्य

7- खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2016 के अन्त में
   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 552164.00
   (ख) सामग्री क्रय परिशोधन शून्य
   (ग) नकद परिशोधन शून्य
   (घ) निक्षेप ` 20566692.00
   (ड) भण्डार ` (-) 3076751.00

8- पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत थी:-

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'

1.	81/2015-16	---	1

9. अप्रस्तुत अभिलेख:- शून्य
10. सतत अनियमितताएँ:- शून्य
11. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

क्रम संख्या	वर्ष	मुख्य लेखाशीर्ष	अवशेष	कुल आवंटन (` लाख में)	कुल व्यय (` लाख में)
	2013-14	8443	173.57	522.59	601.88
	2014-15	8443	94.28	699.28	650.86
	2015-16	8443	142.70	1773.84	1740.80
	2016-17 (सितंबर 2016 तक)	8443	33.04	801.53	733.03

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1: रू0 30.28 लाख की भंडार सामग्री का अनुपयोगी रहना।

सामान्यतः भंडार सामग्री का क्रय आवश्यकतानुसार ही किया जाना चाहिए ताकि भंडार गृह मे सामग्री अनुपयोगी न पड़ी रहे।

अधिशासी अभियन्ता, स्थापना खंड, रुड़की के अभिलेखों की नमूना जॉच (नवम्बर 2016) में पाया गया कि खंडीय भंडार अभिलेखों के अनुसार निम्न विवरणानुसार कुल रू0 30.28 लाख की भंडार सामग्री अनुपयोगी पड़ी थी।

क्रम स0	मद का नाम	मात्रा	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
1)	M.S. rail 60 LBS	13.619	14900	202923.10
2)	SS Flat	8.80	12082	121306.60
3)	SS Hax. Bolt	672.00	181.65	122068.80
4)	Top rubber seal	84	1433.10	120380.40
5)	Bottom rubber seal	84	1433.10	120380.40
6)	PMP IS-2062E	2.58	49350	127323.00
7)	MS Plate 10 mm	6.539	44000.00	287716.00
8)	MS Plate 10 mm HR coil (2000X10mm)	29.85	47350	1413397.50
9)	MS Plate 10 mm HR coil (1500X10mm)	10.270	49863.00	512093.00
			योग	**3027588.80**

उपरोक्त के संदर्भ मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे अवगत कराया गया कि समस्त सामग्री कार्यों मे प्रयोग हेतु क्रय की गयी थी जिसका निर्गमन माह 09/2014 के पश्चात कराये गए विभिन्न कार्यों पर किया गया। अतः समस्त सामग्री कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार ही क्रय की गयी।

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा मे मान्य नहीं था क्योंकि खंड द्वारा क्रय की गयी सामग्री के उपयोग किए जाने से संबन्धित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

अतः रू0 30.28 लाख की भंडार सामग्री के अनुपयोगी रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:2 निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि से रू0 152.70 लाख का व्ययाधिक्य।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 580 मे निहित प्रावधान के अनुसार "Outlay on deposit works is required to be limited to the amounts of deposits received".

अधिशासी अभियन्ता, स्थापना खंड, रुड़की के अभिलेखों की नमूना जॉच (नवम्बर 2016) में पाया गया कि खण्ड द्धारा निम्न विवरणानुसार निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि से रू0 152.70 लाख का अधिक व्यय किया गया।

क्र.सं.	लेन-देन का माह	कार्य/विभाग/संस्था का नाम	व्यायाधिक्य धनराशि
1.	11/2013	KE-157/13-14, EE Maneribhali-2 Joshiyara Uttarkashi	3308854.00
2.	01/2015	KE-196/14-15, EE civil Maneribhali-1 Joshiyara Uttarkashi	195286.00
3.	04/2015	KE-204/14-15, EE ID Almora	2411428.00
4.	08/2015	KE-209/14-15, Ichari Dam Dakpathar	528464.00
5.	04/2015	KE-210/14-15, ID Almora	1247910.00
6.	07/15	KE-213/15-16, Research Officer Material Testing unit IRI Roorkee	33800.00
7.	09/15	KE-217/15-16, ID Bageshwar	40489.00
8.	**02/2016**	KE-208/14-15, EE Civil and Mechanical Maneribhali-2 Joshiyara Uttarkashi	**432000.00**
9.	**02/2016**	KE-220/15-16, EE Mohammadpur Power House	**122487.00**
10.	**02/2016**	KE-221/15-16, EE Veerbhadra Barrage Pashulok, Rishikesh	**1300268.00**
11.	**04/2016**	KE-228/15-16, EE Dakpathar Barrage Dakpathar	**916518.00**
12.	**03/2016**	KE-238/15-16, Mela Adhikari Ardh Kumbh 2016 Haridwar	**2143487.00**
13.	**04/2016**	KE-230/15-16, Joshiyara Barrage Uttarkashi	**1244922.00**
14.	**06/2016**	KE-235/15-16, EE (E&M) MB-2 Joshiyara Uttarkashi	**751869.00**
15.	**07/2016**	KE-242/16-17, Deptt. of AHEC, IIT, Roorkee	**592179.00**
		कुल योग	**15269961.00**

उपरोक्त के संदर्भ मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे अवगत कराया गया कि उक्त व्यय विभिन्न विभागों से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के अंतर्गत किया गया है। अवशेष धनराशि संबन्धित विभागों/संस्थाओं से अप्राप्त है। धनराशि प्राप्त होते ही व्ययाधिक्य स्वतः समाप्त हो जाएगा।

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा मे मान्य नहीं था क्योंकि खंड द्वारा वित्तीय नियमों के विरुद्ध निक्षेप कार्यों पर प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय किया गया था।

अतः निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि से रू0 152.70 लाख के व्ययाधिक्य का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग **अधिशासी अभियन्ता, स्थापना खण्ड, रुड़की** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II